

फर्द अहकाम
राहुल बनाम शिवनारायण

न्यायालय
क्र. संख्या

70/2016

T. I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/11/19	(112/2014) वॉफं उपा वारी अधिवक्ता को तलबी वास्त पर्यन्त अवसर रिपोजन के बावजूद वारी/वारी अधिवक्ता ने तलबी पेश नहीं की। वारी/वारी अधिवक्ता द्वारा बार-बार जान बुझकर न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी। अतः पत्रावली को न्यायालय आदेशों की अवहेलना से 09R5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर रजि नम्बर से कम हो एवं हाखिल इफतर हो।	

[Signature]
सहायक कोलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

